

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

सं०सं०-अ०सां०नि०/स्था०-13-04/2018...१५...../पटना, दिनांक...18.03.2019

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,

सेवा में,

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, मगध (गया), कोशी (सहरसा) एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)।


जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नालंदा, भोजपुर, बक्सर रोहतास, गया, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, प० चम्पारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद एवं जहानाबाद।


विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002 राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 73,13,249/- (तिहत्तर लाख तेरह हजार दो सौ उन्चास रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।


महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.03.2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2018 पर दिनांक 06.12.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।


- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०- 35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 22 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।
- आवंटित राशि से सेवा निवृत्त पदाधिकारी/कर्मि एवं न्यायालय/मानवाधिकार/लोकायुक्त आदि प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।


बजट सहायक


प्रशाखा पदा०



उप नि०(लो०)


संयुक्त नि०(प्र०)

विश्वासभाजन

निदेशक 18/03

ज्ञापांक२४...../पटना, दिनांक18.03.2019

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक
18/03

ज्ञापांक२४...../पटना, दिनांक18.03.2019

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक
18/03

ज्ञापांक२४...../पटना, दिनांक18.03.2019

- प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत शाखा को निर्गत करने एवं गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी,, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।




निदेशक
18/03

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भता	01-04 मकान किराया भता	01-05 परिवहन भता	01-06 चिकित्सा भता	01-07 अन्य	योग- वेतन एवं भते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-06 वर्दी/ पोशाक	13-10 भाड़े की गाड़ी	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 संवित्ता सेवाएं	कुल योग
1	पटना	671200	695700	13017	270083	0	1650000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	1670000
2	गया	330000	155000	50000	0	5000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540000
3	सहरसा	520000	168000	70000	0	12000	770000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	780000
4	मुजफ्फरपुर	882679	232274	6247	0	0	1121200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1121200
जिला सांख्यिकी कार्यालय																		
5	नालंदा	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
6	भोजपुर	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	75000
7	बक्सर	5900	12504	58824	0	0	77228	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	89828
8	रोहतास	58981	43771	0	7543	0	110295	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	135295
9	गया	1520	0	12886	0	200	14606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14606
10	अरवल	10000	10000	20000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	65000
11	मुंगेर	501240	85879	51269	0	2000	640388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640388
12	लखीसराय	0	12110	3602	0	6000	21712	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	46712
13	शेखपुरा	400824	270000	75000	0	7000	752824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752824
14	जमुई	0	0	15000	0	0	15000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	40000
15	दरभंगा	82500	40000	20000	0	5000	147500	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	172500

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	13-02	13-03	13-06	13-10	20-03	28-02	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	मधुबनी	293833	185475	0	0	5288	0	484596	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	504596
17	शिवहर	226300	70000	30000	0	0	0	326300	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	336300
18	प० चम्पारण	30000	14000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000
19	मुजफ्फरपुर	0	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	175000
20	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	25000
21	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000
22	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	25000
	कुल योग:-	4014977	2244713	425845	277626	42488	0	7005649	0	0	10000	222600	0	0	75000	0	0	7313249

(तिहरत लख तेरह हजार दो सौ ऊन्वास रुपये) मात्र।

बजट सहायक

प्रशाखा पदा०

उप निदेशक (लखा)

संयुक्त निदेशक (प०)

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय